न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, राम रतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या 202/18
(आरसीएमएस संख्या 2018/00257)

निर्णय दिनांकः 10–02–2020

1. धूड़ाराम पुत्र गणेशाराम जाति ज्योतिषी निवासी वार्ड नम्बर 4 नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आज्ञा दिनांक 24–05–2003
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर के निर्णय दिनांक 24–05–2003 जिसके द्वारा अपीलांट को पूर्व मे विवादास्पद भूमि का आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि अपीलांट् ने बतौर भूमिहीन आवंटन के तहत तहसील पूगल के समक्ष आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र मय सबूत प्रस्तुत किया गया। अपीलांट् द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ आवंटन हेतु आवश्यक सबूत पेश किये थे। आवंटन अधिकारी द्वारा अपीलांट को दिनांक 24–05–2003 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से चक 1–2 एसएसएम के मुरब्बा नम्बर 142/30 की 25 बीघा भूमि का आवंटन कर दिया गया। परन्तु उक्त भूमि अपीलांट के आवंटन से पूर्व ही विवादास्पद होने के कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं हो सका।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

ऐसीस्थिति अदालत मातहत को उक्त आवंटन के स्थान पर अन्य भूमि का आवंटन किया जाना चाहिए था। परन्तु आवंटन अधिकारी द्वारा आज दिनांक तक न तो अपीलांट के पूर्व आवंटन को निरस्त किया गया ना ही अपीलांट को पात्रता के अनुसार अन्य भूमि का आवंटन किया गया। ऐसी स्थिति में अपीलांट को इस स्थिति का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट को उक्त रकबे के स्थान पर अन्य रकबा आवंटन के आदेश प्रदान किये जाने चाहिए थे। अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही विवादास्पद भूमि रही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से काबिल खारिज आदेश है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। इसलिए अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर व पीठ पीछे एकतरफा तौर पर पारित किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार उसी किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4 विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट्स ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–05–2003 के विरूद्व अपील दिनांक 14–05–18 को पेश की है। जोकि विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट द्वारा आवंटित रकबे को पूर्व से ही विवादास्पद बताया जा रहा है परन्तु इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। लिहाजा अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

5 विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. जहाँ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 24–05–2003 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 14–05–2018 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद

अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में राज्य पक्ष द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई है। अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर पारित किया गया है। अतः अपीलांट के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपीलांट की अपील अन्दर मियांद शुमार की जाती है।

हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट ने अदालत मातहत के समक्ष बतौर भूमिहीन आवंटन के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को दिनांक 24–05–2003 को आवंटन सलाहकार समिति की राय से चक 1–2 एसएसएम के मुरब्बा नम्बर 142/30 में 25 बीघा भूमि का आवंटन किया गया। प्रकरण में अपीलांट का कथन है कि अपीलांट को आवंटित भूमि पूर्व से ही विवादास्पद भूमि होने के कारण उक्त भूमि का आवंटन पट्टा जारी नहीं किया जा सका। अपीलांट की अपील का मुख्य आधार भी यही है। परन्तु अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अथवा वादग्रस्त भूमि के संबंध में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे उसके इस कथन को कि उक्त भूमि पूर्व से ही विवादास्पद है, को कोई बल प्राप्त होता हो। अपीलांट केवल मात्र मौखिक कथन के आधार पर प्रस्तुत अपील में किसी प्रकार की कोई राहत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है नाही उक्त कथन के आधार पर अपीलांट अन्य भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील खारिज की जाती है व सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़ मु. बीकानेर का आदेश दिनांक 24–05–2003 यथावात बहाल रखा जता है।

8. निर्णय आज दिनांक 10–02–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामू रतन सोंकरिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2020.02.24 11:16:05 IST
Reason: SelfAttested
Location: